राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक : 31 DEC 2021

आदेश

विभागीय मार्गदर्शन दिनांक 13.12.2021 के बिन्दु संख्या 1 में विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) को प्रतिस्थापित किया गया है। जिसमें नीलामी के भूखण्डों का देय पुर्नग्रहण राशि बाबत स्थिति स्पष्ट की गई है। तदुपरान्त दिनांक 13.12.2021 के आदेश से वर्तमान आरक्षित दर के स्थान पर 2015 के पूर्व की आरक्षित दर देय होगी।

ऐसे भूखण्ड जो निकायों द्वारा संस्थानिक, फार्म हाऊस व रिसोर्ट/मोटल आदि के लिये निलामी द्वारा विक्रय किये गये है। उनमें भू–आच्छादित क्षेत्र काफी कम रहता है जैसे कि फार्म हाउस व रिसोर्ट में 10 व 20 प्रतिशत तथा लीज राशि निलामी के समय की आरक्षित दर पर देय होती है। ऐसे भूखण्डों के लिये 2015 के समय की आरक्षित दर काफी अत्यधिक हो जाती है और इसे व्यावहारिक करने बाबत् सुझाव दिये गये है। इसी प्रकार नीलामी पर बेचे गये संस्थानिक भूखण्डों के संबंध में भी समस्या है।

अतः अभियान में ऐसे प्रकरणों में राहत देने व समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि रिसोर्ट/मोटल के साथ–साथ संस्थानिक भूखण्डों की निलामी के समय की आरक्षित दर पर पुर्नग्रहण राशि देय होगी।

अतः अभियान अवधि में आमजन को राहत प्रदाने करने हेतु दिनांक 15.01.2002 के पश्चात व दिनांक 20.08.2015 से पूर्व नीलाम किये गये संस्थानिक भूखण्ड, फार्म हाऊस भूखण्ड व रिसोर्ट आदि के भूखण्डों में पुर्नग्रहण राशि निलामी के समय की आरक्षित दर से देय होगी तथा अन्य प्रकरणों की भांति दिनांक 31.12.2019 तक गणना की जाकर राशि ली जावें।

नोटः– दिनांक 15.01.2002 से पूर्व नीलामी पर बेचे गये भूखण्डों पर पुर्नग्रहण राशि देय नही थी।

उपरोक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जावें।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
8. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
12. प्रेक्षक, समस्त संभाग।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

संयुक्त शासन सचिव